



महिला सशक्तीकरण में स्व-सहायता समूहों की भूमिका : (सीधी जिले के रामपुर नैकिन विकासखण्ड के विशेष संदर्भ में)

Dr. T. P. Singh¹ and Puja Singh²

प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, (समाजशास्त्र विभाग)¹ and (शोधार्थी)²

Government Sanjay Gandhi Smrati College, Sidhi, MP, India¹

Government Thakur Ranmat Singh College, Rewa, Madhya Pradesh, India²

सार: सांस्कृतिक दृष्टि से रामपुर नैकिन ब्लाक सोन नदी के कारण स्मरणीय है। मेकलसुता नर्मदा और सोनभद्र की प्रणयगाथा लोक कथाओं में प्रचलित है।¹ जिसके अनुसार यह ध्वनित होता है कि प्रणयी पुरुष सोनभद्र पूर्वगामी हो गया और प्रणयिनी राजकुमारी नर्मदा पश्चिमोन्मुखी हो गई। तब से इन दोनों का विवाह भौगोलिक दस्तावेज बनकर सोन और नर्मदा जैसी विपरीत विशागामी सरिताओं के रूप में मध्यप्रदेश की धरती पर अजर-अमर है। वहीं सोन नदी रामपुर नैकिन ब्लाक के अंचल से भी बहती है, जिसे लोग श्रद्धा से सोनभद्र या सोन नदी कहते हैं।

मुख्य-शब्द: सोनभद्र; स्व-सहायता समूह; महिला सशक्तीकरण

1.1 प्रस्तावना

सीधी जिला ऐतिहासिक दृष्टि से एक सम्पन्न जिला है। इसकी गौरवमयी महिमा की कहानी इस जिले के महत्व को और ज्यादा बढ़ाने में सहायक रही है। यह जिला संस्कृति के प्रकाण्ड विद्वान बाणभट्ट की तपस्थली रही है। सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों मंत्री बीरबल का यह जिला जन्म स्थली है। विश्व प्रसिद्ध सफेद शेर की यह भूमि है।

सोन तथा उसकी सहायक नदियाँ गोपद, बनास तथा महान (मोहन) की तलहटी में पाषाणकालीन एवं मृदभाण्ड प्राप्त हुए हैं। बौद्धकालीन समय से सीधी मुख्यालय से 85 मीटर बौद्धाडांउ में स्तूप प्राप्त हुए हैं। सम्भवतः यह भरहुत के स्तूप निर्माण काल के है। निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि इन स्तूपों का निर्माण शंगकाल में हुआ या उसके परवर्ती काल में बौद्ध साहित्य महावंश के अनुसार अशोक के पुत्र महेन्द्र और उसकी पुत्री संघमित्रा पाटलीपुत्र से इसी क्षेत्र से होते हुए विदिशा गये थे। सम्भवतः पाटलीपुत्र से कोई राजपथ सोनभद्र के किनारे से होते हुए माड़ा, बांधवगढ़ जाज्वलपुर होते हुए विदिशा की ओर पथ निकला है।

¹ राव रामकुमार-वाल्मीकि रामायण कोश, पृष्ठ 1, 4, 34



दूसरी से चौथी शताब्दी तक सीधी जिले का कुछ क्षेत्र मगध राजवंश के अधीन था। इस वंश का अंतिम शासक समुद्रगुप्त से पराजित हुआ था। शिव मगध से भीमसेन मगध तक शासन किये जाने का उल्लेख बांधवगढ़ में प्राप्त अभिलेख तथा सिक्कों में मिलता है। प्राप्त ताम्रपत्र से यह ज्ञात होता है कि यहाँ पांचवीं शताब्दी में पाण्डुवंश के शासक तथा भरतवल का शासन रहा।

पांचवीं शताब्दी 447 ई. में लक्ष्मण नामक शासक के अधीन सीधी का यह क्षेत्र रहा। इसके प्रमाण सिंगरौली के पास के एक भू-क्षेत्र से उपलब्ध ताम्रपत्र में उल्लेखित है। लेकिन यह ज्ञात नहीं हुआ कि यह किस वंश का शासक था। सीधी जिला छठवीं शताब्दी में प्रतिहारों के प्रभुत्व में रहा है। सातवीं शताब्दी का बौद्धांड में प्रतिहार कालीन त्रिस्थशली निर्मित विष्णु और शिव मंदिर के अवशेष अभी भी मौजूद है।

सातवीं शताब्दी के अंत में कलचुरियों का प्रभुत्व स्थापित हुआ। इस वंश का प्रथम शासक कोकल देव प्रथम था। जिसकी राजधानी महिष्मती थी। इसी वंश के युवराज देव प्रथम के शासन काल में ग्राम चंदेरह में शिव मंदिर तथा शैव मठ का निर्माण कराया गया। कलचुरी राजवंश का काल तेरहवीं शताब्दी तक रहा।

कलचुरी शासन काल में कमर्जी में उमा महेश्वर की प्रतिमा, कोल्हूडीह में चामुण्डा की प्रतिमा, कठौली में गोविन्द नामक एक व्यक्ति ने पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष में देवी प्रतिमा का निर्माण कराया। तेदुआ एवं बटौली में भी देवी प्रतिमा इसी काल की है। कलचुरियों का प्रभाव क्षीण होते ही इस प्रांत की जातियाँ अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए आपस में संघर्षरत रही। इन जातियों में बालेन्दु अधिक शक्तिशाली थे।

बालेन्दु शासकों को पराजित कर इस क्षेत्र में चंदेल शासकों का प्रादुर्भाव होता है। रुद्रशाह भी चंदेल शासक थे जिन्होंने अपनी सत्ता वर्दी में स्थापित की तबसे सोलहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक इस क्षेत्र में चंदेलों की सत्ता बनी रही। वर्दी राज्य स्थापित होने के पश्चात् कई राजाओं ने यहाँ शासन किया। वि.स. 1835 में महाराजा अजीत सिंह व जारज पुत्र बाबू केशो ने वर्दी पर चढ़ाई कर दी जिससे वर्दी राज्य रीवा राज्य के आधीन हो गया।

माघ सुदी दिसम्बर 1861 को वर्दी के राजा अजीत सिंह ने महाराजा अजीत सिंह बघेल को यह लेख दिया कि वे मामला के साथ सेवा में भी हाजिर रहेंगे। तत्पश्चात् चंदेल शासकों ने आंतरिक कलह के चलते 1819 ई. में अपनी सम्पूर्ण जागीरदारी रीवा नरेश अजीत सिंह देव को समर्पित कर दिया। इसी समय चौहानों के 19 गांव जो वर्दी राज्य में मिले हुये थे रीवा राज्य के अधीन हो गये अतः चौहान भी रीवा राज्य के मामलेदार हो गये।

सोन नदी के दक्षिण स्थित गोपद बनास में एक लम्बे-चौड़े भू-भाग में चौहानों का अधिपत्य था। जिसे आज भी चौहान खण्ड के नाम से जाना जाता है। चौहान भी रीवा राज्य के अधीन रहे। बाद में रीवा महाराजा अवधूत सिंह के समय बुंदेलों के आक्रमण में रुद्रशाह नामक चौहान के वीरता पूर्व सहयोग से खुश होकर कुछ गांव दे दिये गये थे।



विक्रम संवत् 1988, दिसम्बर 1931 में सीधी के चौहानों ने रीवा दरबार के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह कर दिया जिससे इनकी पवाइयों दरबार में शामिल कर ली गई। सीधी जिले का अधिकांश भाग रीवा रियासत के अंतर्गत बघेल शासकों द्वारा शासित रहा। ये गुजरात के सोलंकी वंश के राजपूत थे। इस वंश के प्रथम राजा व्याघ्रदेव सिंह थे जिनके पुत्र वर्णदेव सिंह थे।

वर्ण देव सिंह का विवाह मण्डला के कल्चुरी तइरा राजा की राजकुमारी से हुआ जो उस समय बांधवगढ़ में स्थित था। बांधवगढ़ का किला उन्हें दहेज में मिला था। 1616 ई. में बघेल राजा विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी बांधवगढ़ से स्थानंतरित कर रीवा में स्थापित कर शासन किया।

रीवा राजघराने (बघेलवंश) के अंतिम शासक के रूप में महाराज मारतण्ड सिंह जूदेव थे जिन्होंने 1948 ई. तक शासन संचालन किया। स्मरण रहे इन दिनों सीधी के विभिन्न इलाके रीवा रियासत में ही शामिल थे।

15 अगस्त 1947 को भारत देश स्वतंत्र हुआ। अंग्रेजों की हुकूमत समाप्त हुई देश में जनतांत्रिक सरकारों की स्थापना का दौर शुरू हुआ। सीधी तब तक तात्कालीन विन्ध्य प्रदेश का हिस्सा था। जिसकी राजधानी रीवा थी। एक अक्टूबर सन् 1956 ई. में पुर्नगठित मध्यप्रदेश के अंतर्गत सीधी का अस्तित्व एक स्वतंत्र जिला के रूप में हुआ।

सीधी का मुख्यालय गोपद बनास तहसील में स्थित सीधी नगर है। इस जिले में वैसे सभी प्रकार की जातियाँ निवास करती है। किन्तु जनजातियों की आबादी सर्वाधिक है। सीधी के ऐतिहासिक परिदृश्यों में प्रमुख रूप से घोघरा की देवी, बड़ौरा के शंकर जी चंदरेह के शिव मंदिर, चुरहट की गढ़ी आदि प्रमुख है।

रामपुर नैकिन ब्लाक का ऐतिहासिक परिचय:

जनश्रुति के अनुसार रामपुर नैकिन सीधी जिले के पूर्वी भाग में स्थित है। इस भाग को रामपुर चौरासी भी कहा जाता है। क्योंकि इस ब्लाक के अन्तर्गत चौरासी गांव आते हैं। यहाँ के इलाकेदार राव के उपाधि में सम्मानित किये गये थे। रीवा राज्य का प्रमुख इलाका था नैकिन में एक महान विरागना क्षत्राणी हुई जिन्हें नाथकिन की उपाधि दी गई थी। अर्थात् नाथकिन से नैकिन कहा जाने लगा। रामपुर नैकिन के पूर्व भाग में चुरहट ब्लाक दक्षिण में मझौली व व्यौहारी ब्लाक पश्चिम में अमरपाटन और रीवा ब्लाक तथा उत्तर में रायपुर ब्लाक स्थित है।

रामपुर नैकिन ब्लाक सामान्य जानकारी निम्नानुसार है :

जनपद की सामान्य जानकारी – विकासखण्ड की स्थापना वर्ष 01.09.1956

कुल जनसंख्या – 233031

अजा. – 30328

अजजा – 53896



कुल महिला – 118739

कुल पुरुष – 114292

कुल ग्राम – 190

बीरान ग्राम – 04

कुल ग्राम पंचायत – 90

1. जनपद क्षेत्र में ग्राम पंचायतों की संख्या – 90

2. ग्रामों की संख्या – 190

3. जनपद वार्ड – 25

4. जिला पंचायत वार्ड – 04

5. कुल ग्राम वार्डों की संख्या – 1573

21 ग्राम पंचायत (साड़ा क्षेत्र) – 377

69 ग्राम पंचायत – 1196

6. मतदान केन्द्रों की संख्या – 325

7. कुल मतदाताओं की संख्या – 184672

पुरुष मतदाता – 95470

महिला मतदाता – 89191

अन्य मतदाता – 11

8. कुल जनसंख्या वर्ष 2011 – 233031

अजा वर्ग की संख्या – 30128

अजजा वर्ग की संख्या – 53314

अन्य वर्ग की संख्या – 149589

स्व सहायता समूह – 190

ग्राम संगठन – 100

संकुल स्तरीय संगठन – 07

रामपुर नैकिन ब्लाक के इतिहास सोन नदी घाटी का अपना एक विशेष महत्व है। जो यहाँ के इतिहास जन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रामपुर ब्लाक ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से विशेष महत्व का है। कैमोर की तराई सोन नदी घाटी तथा केहेजुआ के वनों में इस ब्लाक के अनेक ऐतिहासिक महत्व के अवशेष विद्यमान है। कैमोर पर्व पर रामायणकालीन ऐतिहासिक चिन्ह एवं केहेजुआ पर्वत पर सीता रसोई, रामायण एवं महाभारतकालीन इतिहास का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। प्राचीन काल से यह जनपद, शैव, शाक्त, वैष्णव, बौद्ध और सौर संप्रदाय के साधकों की साधना स्थली रही है। यह जिला मगध और अवंती तथा मगध और दक्षिण कौशल



के महापथ के मध्य स्थित रहा है। ईस्वी पूर्व 380 के आसपास यह भूमि मौर्य शासन के अधीन थी। तत्पश्चात् यह गुप्त वंश कर्चुली नरेशों तथा चंदेल शासकों के अधीन 13वीं शताब्दी तक रही है। 14वीं शताब्दी में बघेल राजपूतों के पांव इस धरती पर जम गए और यह सारा भू-भाग रीवा राज्य की सीमा में समाहित हो गया। 14वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक लगभग 500 वर्ष तक यह भू-भाग रीवा के बघेल राजाओं के आधिपत्य में रहा। 15 अगस्त 1947 को जब देश स्वतंत्र हुआ, देशी रियासतों के संविलियन से भारत का विशाल गणराज्य बना, तब यह भू-भाग भारतीय गणराज्य में रीवा संभाग का एक जिला बनकर सन् 1947 से अपने नवीन स्वरूप में आया।²

सांस्कृतिक दृष्टि से रामपुर नैकिन ब्लाक सोन नदी के कारण स्मरणीय है। मेकलसुता नर्मदा और सोनभद्र की प्रणयगाथा लोक कथाओं में प्रचलित है।³ जिसके अनुसार यह ध्वनित होता है कि प्रणयी पुरुष सोनभद्र पूर्वगामी हो गया और प्रणयिनी राजकुमारी नर्मदा पश्चिमोन्मुखी हो गई। तब से इन दोनों का विवाह भौगोलिक दस्तावेज बनकर सोन और नर्मदा जैसी विपरीत विशागामी सरिताओं के रूप में मध्यप्रदेश की धरती पर अजर-अमर है। वहीं सोन नदी रामपुर नैकिन ब्लाक के अंचल से भी बहती है, जिसे लोग श्रद्धा से सोनभद्र या सोन नदी कहते हैं। चाहे जो भी हो सोन नदी के कारण रामपुर नैकिन ब्लाक सांस्कृतिक महत्व बढ़ता है। मकर संक्रांति के पर्व पर सोन नदी के किनारे स्थान-स्थान पर मेले लगते हैं और सोन नदी की निर्मल धारा में स्नान करने के लिए भक्तगण दूर-दूर से आते हैं।

रामपुर नैकिन ब्लाक प्राचीन समय में जंगलों एवं पहाड़ी अंचलों से घिरा हुआ है। यह ऋषि-मुनियों की तपोभूमि एवं कर्मस्थली रही है। गोपद बनास नदियों के संगम के पास रामपुर नैकिन स्थान आचार्य बाणभट्ट की तपोस्थली रही है। इसी के समीप चंदरेह नामक स्थान जहाँ 14वीं सदी के प्राचीन मंदिर एवं मठ के अवशेष प्राचीन नगर एवं अपनी ऐतिहासिकता का प्रमाण संजोए हुए हैं।⁴

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि प्राचीन समय में रामपुर नैकिन ब्लाक का भू-दृश्य ऋषि-मुनियों, साधु-संतों की शरणस्थली एवं तपोभूमि सिद्धि से इसका नामकरण रामपुर नैकिन हो गया है।

आर्थिक पृष्ठभूमि :-

किसी भी क्षेत्र में विकास की सफलता प्राकृतिक और आर्थिक कारणों पर निर्भर करती है, जिसकी गतिशीलता प्रदेश की सुगमता पर निर्भर है। इस तरह पर्वत पठारों एवं मैदानों का सम्मिलित रूप है। भौतिक दृष्टि से यह बघेलखण्ड पठार के अन्तर्गत सम्मिलित है। इस उच्चभूमि का विस्तार उत्तर में कैमोर श्रेणी से लेकर दक्षिण में महानदी बेसिन तक तथा पश्चिम में मुड़वारा बेसिन से प्रारम्भ होकर पूर्व में छोटा नागपुर पठार तक

² डॉ. संतोष सिंह, सोनाचलम नमामि विन्ध्या लिट्रेरी फाउंडेशन, सीधी, पृष्ठ 28

³ राव रामकुमार-वाल्मीकि रामायण कोश, पृष्ठ 1, 4, 34

⁴ जीतन सिंह-दीवान कोठी राज्य, रीवा राज्य दर्पण, पृष्ठ 398



पाया जाता है। इस ब्लाक के उत्तरी भाग में सोन बेसिन एवं सोन बेसिन के दक्षिण में सीधी जिला स्थित है। सम्पूर्ण ब्लाक का ढाल उत्तर तथा उत्तर-पूर्व की ओर है।⁵

उत्तर की कैमोर श्रेणियाँ :

कैमोर श्रेणी ब्लाक के उत्तरी भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर सोन घाटी के उत्तर में दीवाल की भांति खड़ी हैं यह विंध्य पर्वत माला का एक भाग है। यह श्रेणी रीवा जिले को सीधी से अलग करती है। इस श्रृंखला की ऊँचाई 700 मीटर तक है तथा इसमें से कई नाले निकलकर दक्षिण में स्थित सोन नदी में मिलते हैं।

नदी तंत्र :

नदियों, झीलों, तालाबों का मानव जीवन से गहरा संबंध होता है। ग्रामीण जन-जीवन आरम्भ से ही नदियों के किनारे अपना बसाव बनाया है। जिले में भू-आकृतियों के अनुरूप ही जल प्रवाह का विकास हुआ है। सोन नदी ब्लाक के उत्तरी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है।

जलवायु :

प्राकृतिक वातावरण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जलवायु है। यह मानव जीवन को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे अधिक प्रभावशाली है। जलवायु का प्रभाव भोजन, वस्त्र, मकान, स्वास्थ्य तथा अर्थव्यवस्था पर स्पष्ट है। जिले की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि है। किसी भी स्थान में कृषि पैदावार या उपलब्धता जलवायु तथा मृदा तत्व द्वारा निर्धारित होती है। सीधी जिला मध्यप्रदेश के पूर्वांचल भारत के मध्य में स्थित होने के कारण उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु की समस्त विशेषताएँ मिलती हैं। अतः यहाँ ग्रीष्म एवं शीत ऋतु उष्ण है। वर्षा मानसूनी है जो मुख्यतः जून से सितम्बर के मध्य तक दक्षिणी-पश्चिमी मानसूनी हवाओं द्वारा होती है। जलवायु कुछ निश्चित दशाओं से निर्धारित होती है। इन्हें जलवायु का कारक कहते हैं इन्हें जलवायु का नियंत्रक भी कहते हैं।⁶

तापमान :

कृषि कार्य पर तापमान का प्रभाव स्पष्ट है। पौधे के विकास और वृद्धि के लिए निश्चित तापमान, प्रकाश, ताप और सूर्य का चमकना आवश्यक है। इस प्रकार तापमान का पौधे के विकास में अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। थार्नवेट महोदय के अनुसार पौधे के विकास के लिए अधिकतम तापमान 30° से.ग्रे. आदर्श होता है, इससे अधिक

⁵ सिंह आशाफ़ीलाल-सीधी जिले का भूमि उपयोग

⁶ Blair, I.I. "Climatology prentice hall, New York 1942



तापमान होने पर पौधे झुलस जाते हैं। तथा 10° से.ग्रे. से तापमान कम होने पर पौधे का विकास संतुलित हो जाता है। तथा उनकी विकास गति स्थायी या अस्थायी रूप से रूक या अवरूद्ध हो जाती है।⁷

इस प्रकार तापमान परिवर्तन के कारण सीधी जिले में ग्रीष्म ऋतु वर्षा ऋतु तथा शीत ऋतुएँ क्रमशः आती हैं। अप्रैल माह में वायु क्रमशः गर्म होने लगती है, जिसमें तापमान में तीव्रता से वृद्धि होने लगती है। तापांतर क्रमशः कम होने लगता है। लेकिन अप्रैल माह के बाद ताप का स्तर क्रमशः बढ़ने लगता है। मई महिने में तापमान बढ़कर 40° बढ़ जाता है। फलतः लू हवा का प्रकोप बढ़ने लगता है। जून के माह में मानसून का आगमन होता है। मानसून का आगमन 20 जून 30 जून के बीच होता है। इस समय तापमान 38.5° से.ग्रे. होता है। वर्षा शुरू होने पर तापमान गीरकर 30° से.ग्रे. हो जाता है। जून से अगस्त महीने तक वर्षा के कारण तापमान कम पाया जाता है। उसका कारण मेघाच्छदन है। जुलाई की तुलना में अगस्त माह का तापमान 0.50° से.ग्रे. से 1.0° से.ग्रे. को होता है। जुलाई-अगस्त तथा सितम्बर महीने में वायु की आर्द्रता तथा मेघाच्छन्नता के फलस्वरूप तापपरिसर न्यूनतम 0° - 4° सेन्टीग्रेट रहता है। अक्टूबर और नवम्बर माह औसत दैनिक तापमान घटकर कम हो जाता है। वायु में शुष्कता आती जाती है।

आर्द्रता :

रामपुर नैकिन ब्लाक में सर्वाधिक आर्द्रता जुलाई से सितम्बर माह तक है। जुलाई-अगस्त-सितम्बर में क्रमशः 82, 83 एवं 87 सापेक्षित आर्द्रता पाई जाती है। सबसे कम आर्द्रता मार्च, अप्रैल एवं मई में क्रमशः 43 एवं 33 एवं 25 प्रतिशत पाई जाती है।

रामपुर ब्लाक की जनसंख्या :

जनसंख्या का प्रश्न प्राचीन समय से ही मानवीय ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के चिंतनशील विद्वानों दार्शनिकों तथा राजनायिकों का आकर्षण केन्द्र रहा है। जनसंख्या का अध्ययन कई शताब्दियों पूर्व आरम्भ हो गया था। जनसंख्या के अंतर्गत किसी भी देश राज्य या स्थान की जनसंख्या वितरण एवं घनत्व का क्षेत्रीय अध्ययन महत्वपूर्ण है। जनसंख्या वितरण से हम किसी भी क्षेत्र जनांकिकीय विशेषताओं से परिचित होते हैं। जनसंख्या किसी भी क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण स्थान होता है।

कृषि व्यवस्था :

⁷ Hengation, N.A. royan, V.N. Fundamentals of Eco Geog, Prentice Hall of India, Pvt Ltd New Delhi, p. 16



कृषि प्रत्येक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण है यह सभी प्रकार उद्योग धंधों एवं वाणिज्यिक क्रियाओं का आधार होती है। कृषि एवं भूमि की स्थिति सिंचाई के साधनों आवश्यक प्राकृतिक स्वरूपों एवं जोतों के आकार पर निर्भर करती है।

रामपुर नैकिन ब्लाक की कृषि का अधिकांश भाग परम्परागत खेती पर आधारित है। ब्लाक में 80.6 प्रतिशत शुष्क भूमि है। जो मुख्यतः मानसून पर आधारित है। जोतों का आकार छोटा है एवं सिंचाई के संसाधन सीमित है। रामपुर नैकिन ब्लाक के क्षेत्रान्तर्गत रबी एवं खरीफ के फसले पैदा की जाती हैं रबी के फसलों में गेहूँ, चना, सरसो तथा अरसी एवं खरीफ के फसल में धान, अरहर, बाजारा एवं ज्वार एवं सोयाबीन की खेती प्रमुखता से की जाती है। रामपुर नैकिन ब्लाक की प्रमुख फसलें धान, गेहूँ, चना तथा सोयाबीन है। उन्नत किस्म की फसलों का उत्पादन सिंचित भूमि तक ही सीमित है।

1.2 भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार :

किसी भी जिले की भौगोलिक संरचना उस जिले का निरीक्षण तथा परीक्षण करने के लिए वहाँ का प्राकृतिक वातावरण मुख्य रूप से सहायक होता है। भौगोलिक परिचय के लिहाज से सीधी जिला अपने आप में विशिष्टीकृत है। प्राकृतिक सम्पदाओं से भरपूर यह अंचल सहज ही मन को मोहने वाला है। भौगोलिक दृष्टि से देखने पर स्पष्ट विदित होता है कि यहाँ पर ऊँची-ऊँची पर्वतमालाओं के उदर को विदीर्ण कर जगह-जगह पर नदियाँ एवं झरने प्रवाहित होते हैं। यह पर्वत श्रेणियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर समानांतर पूरे जिले में फैली है मोटे तौर पर सम्पूर्ण जिला पहाड़ी है।

सीधी जिला सिंगरौली जिले की सीमा से लगा हुआ मध्यप्रदेश के उत्तर-पूर्व हिस्से में कैमोर पर्वत श्रेणी के गोद में बसा है। इस जिले के पूर्व में प्रसिद्ध पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक माड़ा की गुफाएँ एवं उत्तर-दक्षिणी भाग में सोन एवं महान नदी की तरंगे हिलोरे ले रही हैं। उत्तर में केहुँजुआ की भव्य पर्वत माला विराजमान है। केहुँजुआ और विन्ध्य कैमोर पर्वत की दो शाखाएँ हैं। यहीं कैमोर विन्ध्याचल पर्वत की एक भुजा है।

स्थिति, सीमा, अकार एवं विस्तार :

स्थिति :

सीधी जिला 23°47' उत्तर से 24°42' तक तथा 81°10' पूर्वी देशान्तर से 82°49' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। जिले की समुद्र तट से निम्नतम ऊँचाई 243.68 मीटर तथा अधिकतम ऊँचाई 609.60 मीटर है। सम्पूर्ण जिला कैमोर पर्वत श्रेणियों के दक्षिण में स्थित है। इस प्रकार 82 देशान्तर रेखा जो भारत की प्रमाणिक देशान्तर रेखा है। इस जिले को पूर्व-पश्चिमी दो भागों में बाँटती है। इस प्रकार यह जिला भारत वर्ष के ठीक मध्य में स्थित उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधों की पेटि के अन्तर्गत आता है।

**सीमा :**

सीधी जिले का सीमा का निर्धारण कई प्राकृतिक तत्वों द्वारा होता है। जैसे पूर्व में कैमोर पर्वत श्रेणी, मध्य सोन नदी की घाटी तथा दक्षिण में मड़वास और मझौली का पठार स्थिति है। इसी प्रकार पश्चिम दिशा में बनास नदी तथा पूर्व में गोपद नदी सीधी जिले की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। इस क्षेत्र की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है।

विस्तार :

इसी पूर्वी-पश्चिमी लम्बाई 155 किलोमीटर तथा उत्तरी-दक्षिणी चौड़ाई 95 किलोमीटर है। जिले का कुल क्षेत्रफल 4717.75 वर्ग किलोमीटर है। जिले की कुल जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार 1831152 है। जिले के पूर्व में सिंगरौली जिला तथा दक्षिण में मध्यप्रदेश का शहडोल जिला, दक्षिण-पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में सतना जिला तथा उत्तर में रीवा जिला है। वर्तमान में जिले में छः तहसीलें तथा पांच विकासखण्ड हैं। जिले में योजनाबद्ध विकास हेतु तीन नगर पंचायतें एवं एक नगरपालिका सीधी में स्थित है।

आकार :

सीधी जिले के मानचित्र का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि जिले की आकृति घोड़े के नाल के आकार के समान है। सीधी जिले के उत्तरी एवं दक्षिण भाग चौड़ा है तथा मध्यवर्ती भाग सकरा है। सीमा की लम्बाई सबसे अधिक है जबकि मध्य क्षेत्र की लम्बाई सबसे कम है। इसी कारण जिले की आकृति घोड़े के नाल की तरह है।

दूरी :

मध्यप्रदेश के रीवा संभाग के चार जिलों में से एक जिला सीधी है। सीधी जिला रीवा संभाग के उत्तरी-पूर्वी छोर पर स्थित है। यह प्रदेश की राजधानी भोपाल से 632 किलोमीटर तथा संभागीय मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित है।

भू-गर्भिक संरचना :

भू-गर्भिक संरचना किसी भी क्षेत्र के अध्ययन का वह पहलू है जिस पर उस क्षेत्र की सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति निर्भर करती है, क्योंकि शैलों की संरचना का प्रभाव प्रदेश अथवा भू-भाग की मिट्टीयों तथा खनिज संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। पृथ्वी के भू-गर्भिक इतिहास के प्रारम्भिक काल से ही सीधी



जिला पठारी एवं ऊबड़-खाबड़ भाग का अंश रहा है। यहाँ इस काल में विक्षेपण के फलस्वरूप बनी प्राचीनतम जलज चट्टानी भाग मिलते हैं। पठारी भाग जो बघेलखण्ड में पूर्णतः दिखाई देते हैं, इस भू-भाग में आंतरिक हलचलों का प्रभाव थोड़ा भी नहीं दिखाई देता है। केवल पर्वत निर्माणकारी शक्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं, जिससे विस्तृत भू-भाग पर्वत एवं पहाड़ों के रूप में ऊपर उठे दिखाई देते हैं जो वर्तमान कैमोर श्रेणी देवसर की पहाड़ियों तथा केहेजुआ पहाड़ियों के रूप में विद्यमान है। ये श्रेणियाँ सोन घाटी के धंसने से बनी हैं, इसका प्रमाण यहाँ की भौतिक संरचना व नवीन चट्टानों से स्पष्ट होता है। यहाँ भी पर्वत श्रेणियों व पठारी भाग भिन्न-भिन्न समय में आंतरिक शक्तियों के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आये।

धरातलीय स्वरूप :

सीधी जिला कैमोर पर्वत श्रेणियों के दक्षिण में स्थित है। यह पर्वत श्रेणियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर समानान्तर पूरे जिले में फैली हैं जिसके हृदय में सोन नदी एक सकरे उपजाऊ मैदानी भाग का निर्माण करती है। यहाँ का धरातलीय उच्चावच बहुत ही असमान है। भौगोलिक स्थिति के मापदण्ड के अनुसार जिले को तीन भौतिक विभागों में विभक्त किया जा सकता है—

(अ) कैमोर पर्वत श्रेणी

(ब) सोन नदी की घाटी

(स) मड़वास मझौली का पठार

(अ) कैमोर पर्वत श्रेणी :

कैमोर पर्वत श्रेणी सीधी जिले की उत्तरी सीमा पर एक पहाड़ी श्रेणी है। यह दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर फैली हुई है जो कि सीधी जिले को रीवा जिले से अलग करती है और सोन घाटी के उत्तर में दीवाल की तरह खड़ी है। इसे पार करने के लिए कोई दर्रे नहीं है इसलिए इसे काटकर सड़के बनाई गई है। जो मोड़दार एवं घुमावदार है। इन मोड़दार घाटों को छुहिया तथा मोहनिया घाटी के नाम से जाना जाता है।

(ब) सोन नदी की घाटी :

यह घाटी कैमोर श्रेणी के दक्षिण में है यह पश्चिम से पूर्व की ओर सकरे होती जाती है। इस घाटी का अधिकांश भाग समतल व उपजाऊ है। घाटी का उत्तरी हिस्सा खेती की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस घाटी का ढाल पूर्व की ओर है, पश्चिमी हिस्से में इन पहाड़ियों को 'केहेजुआ' की पहाड़ी कहा जाता है।

(स) मड़वास मझौली का पठार :

सोन घाटी के दक्षिण में गोपद बनास और मझौली तहसील में यह पठार स्थित है। इसका मध्य हिस्सा समतल है परन्तु सीमाओं पर पहाड़ियाँ हैं। इसकी मुख्य नदियाँ गोपद तथा बनास हैं। जो उत्तर में सोन में जाकर मिल जाती है। बनास नदी की अन्य सहायक नदियाँ मौवाही तथा महान हैं। अनेक नाले पूर्व से पश्चिम



की ओर बहकर नदी में मिलते हैं। इस पठार की ऊँचाई 200 से 450 मीटर है। भूमि ऊँची-नीची है। भूमि को समतल कृषि योग्य बनाकर कृषक खेती करते हैं।

जलवायु :

गर्मी, ठण्ड, वर्षा तथा वायु की औसत वार्षिक दशाओं को जलवायु कहते हैं, इसका हमारे खान-पान, पहनावा, घर बनाने तथा कृषि उद्योग और व्यापार सभी कार्यों पर भारी प्रभाव पड़ता है। प्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभाव मानव के शरीर, गुण-स्वभाव कार्यक्षमता, मानसिक विकास एवं आर्थिक विकास पर भी पड़ता है।

सीधी जिले की जलवायु मानसूनी है। जिले में औसत वार्षिक वर्षा 100 से.मी. से 140 से.मी. तक होती है। शीतऋतु में यहाँ का तापमान 7 अंश सेलसियस तथा ग्रीष्म ऋतु में 42 अंश सेलसियस तक पहुँच जाता है। यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। सीधी जिला भी इससे अछूता नहीं है जिसके कारण यहाँ शीतऋतु में अत्यधिक ठण्डी एवं ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी पड़ती है।

वायु :

सीधी जिले में मानसून के कारण अधिकतर हवाएँ दक्षिण-पश्चिम से चलती है। शेष अवधि में हवाएँ उत्तर-पश्चिम चलती है। जिले में मुख्य रूप से तीन प्रकार की हवाएँ चलती हैं।

1. वर्षा के महीने में बहने वाली दक्षिण-पश्चिम पवने भाप भरी, गीली तथा बादल लाने वाली होती है।
2. जाड़े के महीनों में बहने वाली उत्तरी-पूर्वी पवने, उत्तर भारत से आने के कारण यह सूखी एवं ठण्डी होती है।
3. गर्मी के महीने वाली पश्चिमी पवने यह अत्यन्त गरम तपन लू कहलाता है। इसके कारण दोपहर को बाहर निकलना कठिन होता है।

वर्षा :

सीधी जिले के ऊँचे भागों में अत्यधिक वर्षा होती है। अधिकांश वर्षा मध्य जून से सितम्बर तक होती है। यही समय कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है। नदियों में इन दिनों बाढ़ आ जाती है।

आर्द्रता :

सीधी जिले की सापेक्षिक आर्द्रता जून से सितम्बर माह तक सबसे अधिक रहती है। अक्टूबर से फरवरी तक कमी आ जाती है और मार्च से मई तक आर्द्रता बिल्कुल कम हो जाती है। अतः मार्च से लेकर मई तक वायुमण्डल शुष्क रहता है। जिले की औसत सापेक्षिक आर्द्रता 62 प्रतिशत है।

अपवाह तंत्र :

सम्पूर्ण सीधी जिला गंगा नदी अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस जिले की सबसे बड़ी नदी सोन है। बनास, गोपद और महान उसकी सहायक नदियाँ हैं। ये समस्त नदियाँ सोन बेसिन के अंतर्गत आती है। गोपद नदी सीधी जिले के मध्य में दक्षिण से उत्तर-पूर्व की ओर बहती हुई सिंगरौली जिले के चितरंगी तहसील के बर्दी नामक ग्राम के पास सोन नदी में मिलती हैं। दूसरी मुख्य नदी बनास है जो जिले के पश्चिमी सीमा पर



दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। यह नदी भरतपुर (कोरिया जिला) से बहकर 90 किमी. की यात्रा करते हुए ग्राम चंदेरह के समीप सोन नदी में मिल जाती है। इस संगम स्थल को भंवरसेन कहते हैं। जिले में कई छोटी बड़ी नदियाँ व नाले हैं, परन्तु सोन नदी जिले की सबसे बड़ी नदी है और सारी नदियाँ इसी की सहायक नदियाँ हैं। जिले को अपवाह तंत्र इन्हीं से निर्मित होता है।

सोन नदी :

यह मध्यप्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण व सबसे बड़ी नदी है। सोन नदी की कुल लम्बाई 780 किलोमीटर है। सोन नदी शहडोल जिले के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी सीधी जिले की सबसे बड़ी व मुख्य नदी है। सोन नदी सीधी जिले के उत्तरी-पश्चिमी छोर में रामपुर नैकिन तहसील में प्रवेश करती है और रामपुर नैकिन, चुरहट, गोपद बनास, सिहावल, चितरंगी होते हुए उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर जिले में प्रवेश कर जाती है। सीधी जिले में इस नदी की कुल लम्बाई 144 किलोमीटर है। इस नदी के दोनों ओर सकरा मैदानी भाग है, जो काफी उपजाऊ है।

महान नदी :

महान नदी मड़वास के पठारी भाग से निकलती है यह एक छोटी नदी है जो भंवरसेन के समीप बनास नदी में मिल जाती है। वर्तमान समय में इसी नदी पर गुलाब सागर बांध बंध रहा है। जिसका उद्घाटन 1983 में किया गया था। जो अभी निर्माणाधीन है। इस जिले की यह वृहद् सिंचाई सुविधा है जो लम्बे समय से चल रही है।

बनास नदी :

यह जिले की तीसरी मुख्य नदी है जो सोन की दूसरी सहायक नदी है। यह शहडोल के पहाड़ियों से निकलकर जिले की पश्चिमी सीमा पर बहती हुई रामपुर नैकिन तहसील के शिकारगंज के भंवरसेन नामक स्थान पर सोन नदी में मिल जाती है।

गोपद नदी :

यह जिले की दूसरी मुख्य नदी है जो सोन की सहायक नदी है। यह नदी सरगुजा जिले के देवगढ़ नामक पहाड़ी से निकलकर सीधी जिले के दक्षिण में कुसमी तहसील में जूरी-रौहाल के पास प्रवेश करती है। पहाड़ी क्षेत्रों में बहने के कारण इस नदी का बहाव काफी तीव्र है।

मिट्टियाँ :

मृदा प्राकृतिक वातावरण का प्रमुख तत्व है। वनस्पति और कृषि स्वरूप को निर्धारित करने वाले कारकों में मृदा अधिक महत्वपूर्ण है। किसी प्रदेश में घास अथवा वन किस प्रकार पाये जाते हैं। ये अधिकांशतः वहाँ की मिट्टी की प्रकृति पर निर्भर करता है। इस प्रकार कृषि, भूमि के फसलों के प्रादेशिक वितरण उनके उत्पादन की मात्रा भी मिट्टी की प्रकृति से निर्धारित होती है। अतः भौगोलिक वितरण में मिट्टी का विश्लेषण आवश्यक है। जिले में दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी एवं पहाड़ी मिट्टी पायी जाती है।



खनिज सम्पदा :

सीधी जिला खनिज सम्पदा की दृष्टि से भी सम्पन्न है। विशेष रूप से कोयले के भण्डार सिंगरौली और उसके पास की खानों में विपुल मात्रा में उपलब्ध है। यह कोयला एशिया का सबसे उच्चकोटि का माना जाता है। इसी कारण इस क्षेत्र को ऊर्जाधानी के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त सीधी जिले में अभ्रक, मैगनीज, वाक्साइट के साथ-साथ चितरंगी तथा बैडन विकासखण्डों में सोने का भण्डार होने का पता चला है। बालू, चूने के पत्थर के भण्डार कैमोर पर्वत श्रेणी में है।

प्राकृतिक वनस्पति :

प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय भौतिक दशाओं अथवा परिस्थितियों में स्वतः उगने वाली वनस्पति से है। जिसमें पेड़ पौधे झाड़ियों घास सम्मिलित होते हैं। सीधी जिला अतुल वन संपदा से परिपूर्ण है। जिले का कुल क्षेत्रफल का लगभग 22.2 प्रतिशत भाग वनों से आच्छादित है। जिले में प्राकृतिक वनस्पति की इस सम्पन्नता का कारण यह है कि जिले का अधिकांश भाग पहाड़ी है। जिसमें कृषि सम्भव नहीं है। कैमोर और केहेजुआ पर्वतों की श्रेणियाँ फैली होने के कारण इस जिले में सघन बन पाये जाते हैं। केवल उपजाऊ और समतल भागों में ही खेती की जाती है।

तापमान और वर्षा यहाँ पर वनों के विकास के लिए उपयुक्त है जिले के लगभग 43751 हेक्टेयर भूमि पर वन पाये जाते हैं। यहाँ मुख्य रूप से साल, सागौन, सरई, तेन्दू, हल्दी, सेंधा, महुआ, जामुन, साजा, बीजा, शीशम, कुल्लू, सेमरा, गुरजा, आंवला, धोवन, बांस आदि वृक्ष पाये जाते हैं। इसके अलवा यहाँ झाड़ियाँ एवं घास पाये जाते हैं। झाड़ियों में गुल मेहदी, बरारी, करौदा आदि पाये जाते हैं। घासों में कास, बगई, गाजर घास, सीक इत्यादि पाये जाते हैं।

औषधीय वृक्षों में हर्रा, बहेरा, आंवला आदि प्रमुख है और जड़ी बूटियों में कंसराज, मोगराज, बलराज, चौरसिंहवा, सतावर, सफेद मूसली, बड़का, कंद, बिकारी, कंद बैचान इत्यादि पाये जाते हैं। जिले के वन मानसूनी प्रकृति के हैं। जो बसंत ऋतु में अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। यहाँ के वनों में वृक्षों की ऊँचाई 10 से 15 मीटर तक होती है। जिले के पूर्व और पश्चिमी भागों में घने जंगल पाये जाते हैं। जिनकी देखभाल के लिए पूर्व और पश्चिमी वन मण्डल स्थापित किये गये हैं।

वनों का वितरण :

सीधी जिले के 43751 हेक्टेयर भूमि में वन पाये जाते हैं। वनों के अन्तर्गत आने वाले वाला यह क्षेत्र भी जिले के सभी तहसीलों में समान नहीं है।

सीधी जिले के वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण एवं विवरण :

(1) आरक्षित वन :



जो वन जलवायु दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें आरक्षित वन कहते हैं। यह जिले के 225191 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। अतः जिले का 50.49 प्रतिशत वन आरक्षित वन की श्रेणी में आता है। इनमें न तो लकड़ियों काटी जा सकती है और न ही पशु चराने दिये जाते हैं। क्योंकि यह सरकारी सम्पदा माना जाता है। इनके अन्तर्गत अधिकांश अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान आते हैं।

(2) संरक्षित वन :

यह वन जिले में 202678 हेक्टेयर क्षेत्र में विद्यमान है। इसमें विशेष नियमों में अधीन मनुष्यों को अपने पशुओं को चराने तथा लकड़ी काटने की अनुमति दी जाती है, किन्तु कड़ी देखभाल की जाती है। इस प्रकार वनों का कुल क्षेत्रफल 45.30 प्रतिशत है।

(3) आवर्गीकृत वन :

इनमें लकड़ी काटने पशुओं को चराने पर सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं है। सरकार इसके लिए कुछ शुल्क लेती है। यह 15340 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। अर्थात् कुल वन का इसका 3.43 प्रतिशत भाग है।

(4) अन्य वन :

इनमें व्यक्तिगत वन इत्यादि सम्मिलित है। यह 3431 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला है इसमें 0.76 प्रतिशत भाग वन सम्मिलित है।

वन्य जीव :

सीधी जिला वन सम्पदा से धनी है। जिले के भौगोलिक क्षेत्र का 42 प्रतिशत भाग वनों से आच्छादित है। वनों का क्षेत्रफल 4353 वर्ग किमी. है। आरक्षित वनों का क्षेत्रफल 2787 वर्ग किमी. है। तथा संरक्षित वनों का क्षेत्रफल 1565 वर्ग किमी. है। जिले के अधिकांश वन ऊँची पर्वत श्रेणियों के ढलान क्षेत्रों में आच्छादित है। इन वनों में घने सालवन, मिश्रित प्रजाति पतक्षर वाले वन प्रमुख हैं तथा सागौन के रोपड़ क्षेत्र के वन है। जिले में तीन वन प्राणी संरक्षित क्षेत्र हैं—

संजय राष्ट्रीय उद्यान :

संजय राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 1938 वर्ग किमी. है। जिले मध्यप्रदेश के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान होने का गौरव प्राप्त है जो विभिन्न वन्य प्राणियों के साथ-साथ मनोरम प्राकृतिक स्थलों को समाहित किये हुये हैं। इनका अक्षांशी विस्तार 23°30' से 24° उत्तरी अक्षांश एवं 81°45' के पूर्वी देशान्तर के बीच है। यह सीधी मुख्यालय से 75 किमी. दूर कुसमी तथा अमगांव द्वार से प्रारम्भ होता है। यहाँ शेर, तेंदुआ, चिंकारा, चीतल, सांभर, नीलगाय, वार्किंग डियर मोर आदि है।

संजय दुबरी अभ्यारण्य :

यह सीधी जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 364.59 वर्ग किमी. है। संजय दुबरी पार्क सीधी से लगभग 57 किमी. दूर दक्षिण-पश्चिम मझौली तहसील के पास है। इसमें एक हजार की संख्या में वन्य प्राणी व पशु-पक्षी हैं जिनमें शेर, तेंदुआ, हाइना, नीलगाय, काला हिरण आदि प्रमुख है।



सोन-घड़ियाल अभयारण्य :

जिले में सोन नदी 161 वर्ग किमी. गोपद बनास 26 वर्ग किमी. एवं बनास नदी 22 वर्ग किमी. कुल 209 वर्ग किमी. में फैली हुई हैं। इन नदियों के विभिन्न स्थलों पर वहाँ पर रेत की प्रचुर मात्रा है। घड़ियाल एवं मगर आसानी से देखे जा सकते हैं। इस स्थल पर घड़ियाल, मगर के अतिरिक्त कछुओं एवं विभिन्न प्रकार के पक्षियों का सुरम्य स्थल है। यहाँ पर अनेक प्रवासी पक्षी जिनमें मुख्यतः जलपक्षी सम्मिलित हैं, प्रवास करते हैं। जोगदहा जिला मुख्यालय सीधी से 45 किमी. दूर है।

धार्मिक परिचय :

सिद्धि भूमि सीधी विभिन्न धर्मों, सम्प्रदायों और मतावलम्बियों की संगम स्थली है। जिले के सांस्कृतिक घाट में आज भी शेर और बकरे एक साथ पानी पी रहे हैं। मंदिर और मस्जिद जैसे उलझाऊ विवादों का यहाँ के जन जीवन में कोई भी ध्वन्सात्मक प्रभाव नहीं परिलक्षित होता है। सच्चाई तो यह है कि पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित इस जिले में साम्प्रदायिकता, संकीर्णता की आंधी नहीं पहुँच पा रही है। अनेकता में एकता के गीत गाने वाला यह जिला श्रद्धा सद्भाव की पुस्तके पढ़ता है और उन पृष्ठों पर उद्धृत सूत्रों के आधार पर मानवता की मूर्ति गढ़ता है। तभी तो यहाँ अनेक धर्मों, विचारों, संस्कृतियों एवं मान्यताओं के लोग भाई-चारे के आदर्श व्यवहार का पारायण करते हैं।

इस क्षेत्र में मुख्य रूप से हिन्दू, मुस्लिम व ईसाई धर्म के अनुयायी रहते हैं। अल्पसंख्यक में बौद्ध एवं जैन धर्म के लोग भी हैं। सब की अपनी-अपनी संस्कृति परम्पराएँ, रीति-रिवाज, खान-पान और मान्यताएँ हैं। इतना ही नहीं अनेक धर्मों की शाखाएँ और सम्प्रदायों की उपशाखाएँ तक हैं। चाहे जिस सम्प्रदाय या धर्म का व्यक्ति हो अपनी मान्यताओं के आधार पर धार्मिक कार्य करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता है।

सीधी जिले के लोग बिना किसी भेदभाव के एक-दूसरे के तिथि-त्यौहारों और उत्सवों में सम्मिलित होते हैं जो भागीदारी नहीं निभा पाते, वे एक दूसरे की गतिविधियों में कमी भी कोई गतिरोध नहीं उत्पन्न करते हैं। हिन्दुओं के तिथि त्यौहारों में मुस्लिम, सिक्ख व ईसाई धर्म के मतावलम्बी भाग लेते हैं और आमंत्रण स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार सांस्कारिक एवं मांगलिक उत्सवों में सभी धर्मों के लोग सद्भावना एवं सहानुभूति बांटते हैं। अतएव जिले की सांस्कृतिकता से सहिष्णुता एवं सहभागिता का आचरण संचारित होता है।

सोनांचल क्षेत्र का सम्पूर्ण भू-भाग बघेलखण्ड के अंतर्गत आता है। अतः यहाँ के रीति-रिवाज व परम्पराएँ बघेली लोक संस्कृति का अभिन्न अंग हैं। यहाँ जीवन के प्रत्येक काल में अच्छे बुरे प्रत्येक अवसर हेतु भिन्न रीतियाँ हैं। गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यन्त इन रीति-रिवाजों व परम्पराओं का पालन किया है। यहाँ के प्रमुख रीति-रिवाज हैं, गोद भराई, छठी, बरहों, मुंडन, कनछेदन, बरूआ, विवाह, द्विरागमन, दाह-संस्कार, कर्म व तेरहवीं आदि। इसके अतिरिक्त पर्दा प्रथा, पति का नाम न लेना, जेठ (पति के बड़ा भाई) का नाम न लेना, कुछ निश्चित दिनों में किसी विशेष दिशा में न जाना, पिता के जीवित रहते मूँछ न मुड़ाना, विधवा द्वारा कोई श्रृंगार न करना



आदि अनेक परम्पराएँ यहाँ प्रचलित हैं। आज भी मनुष्य साधारणतः कानूनों का उल्लंघन कर सकता है लेकिन परम्पराओं के विरुद्ध कार्य का साहस नहीं कर सकता।

सीधी का अरण्यवर्ती अंचल ग्राम्य संस्कृति की सच्ची तस्वीर है। ग्रामों का धार्मिक जन-जीवन ही इसका आधार है। जन-जीवन में प्रचलित रूढ़ियों परम्पराएँ, विभिन्न विचार धाराएँ तथा साहित्य कला और संगीत यहाँ की संस्कृति पर अमिट छाप छोड़ती है। डॉ. सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार जिन सामाजिक अनुष्ठानों विश्वासों, विचारों तथा वांगमय से अपने लौकिक प्रकाश को प्राप्त करती है उसे लोक संस्कृति कहते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में फोक-लोर कहते हैं। यहाँ के लोग धर्म परम्परागत विश्वासों, आर्थिक स्थितियों और पर्व त्योहारों से हटकर नहीं हैं। यहाँ के लोगों की ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक वस्तु में किसी न किसी आत्मा का निवास होता है। प्रकृति की सभी वस्तुएँ, नदी, पहाड़, घाटियाँ, वृक्ष आदि जो भी वस्तुएँ हमें दिलाई देती है। उनमें आत्मा अवश्य होती है मृतक व्यक्ति फिर से जन्म लेता है और वह फिर से सांसारिक संबंध स्थापित करता है।

जिले के आदिम ग्रामवासियों में तंत्र-मंत्र, जादू-टोने या टोटके जीवन जीने के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। तंत्र-मंत्र और झाड़-फूक पर इनकी बड़ी आस्था होती है किसी भी रोग के उपचार का सर्वोत्तम तरीका वे इसे ही मानते हैं जादू-टोना करने में औरते होशियार होती हैं किन्तु झाड़-फूक पुरुष वर्ग के ओझा ही करते हैं स्त्रियों में गुदना गुदवाने की प्राचीन परम्परा है।

1.3 सामाजिक-सांस्कृतिक परिदृश्य :

विभिन्न जातियों तथा सामाजिक मान्यताओं के योग से अध्येय क्षेत्र का सामाजिक स्वरूप बना है। जिले के सम्पूर्ण भू-भाग में विभिन्न प्रकार की जातियाँ मौजूद हैं। यहाँ परम्परिक व्यवस्था से ब्राम्हण, क्षत्रीय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों के लोग निवास करते हैं। शूद्र वर्ग में अभी तक निर्धनता और निक्षरता का बोझ लटका है। सभी जातियों का सामाजिक जीवन एक-दूसरे की जातियों से कुछ भिन्न है। गोड़, बैगा और पनिका जाति के आदिवासियों में बहुत कुछ समानता है। गोड़ का आदिवासियों में प्रमुख या ऊँची जाति का माना जाता है। इन्हें गोड़ राजा या गोड़ ठाकुर कहकर सम्मानित किया जाता है। कोल जाति का सवर्ण जाति के निकटस्थ होने के कारण उनकी संस्कृति का गहरा प्रभाव इनमें देखने को मिलता है। हिन्दुओं के प्रमुख संस्कर गीत, मुण्डन, कर्णछेदन, विवाह, गीत, गारी, सोहर, कजली, हिन्दुली भी गाये जाते हैं। उत्सव त्योहारों के समय दादर भी गाने का काफी प्रचलन है।

यहाँ हिन्दुओं में अपनी अलग-अलग उपजातियों या गोत्र के आधार पर विवाह पद्धति की परम्परा पूर्ण की जाती है। कन्या पक्ष के लोग वर की मांग करने जाते हैं। बाल विवाह का प्रचलन काफी है। सीधी जिले में हिन्दू जाति के लोग उत्सव त्योहारों में अथवा वैवाहिक कार्यों में बहुत ही उदारवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं। भले ही इन्हें कितना भी कर्ज के बोझ से क्यों न दबना पड़े। मृत्यु में भी भोज आयोजन करने की प्रथा है। इस क्षेत्र में मेहमानों का स्वागत एवं सत्कार बड़े धूमधाम से किया जाता है। अतिथि देवो भवः की कहावत को मान्यता



देते हैं। धार्मिक कर्मकाण्ड एवं पूजा-पाठ पर विशेष बल देते हैं। यहाँ एक गांव का बुजुर्ग मुखिया होता है, जिसके दिशा दिर्नेशन में सभी ग्रामवासी चलते हैं।

सीधी जिले के आदिवासियों का सामाजिक परिवेश कुछ भिन्न है। इनमें उढ़री या रखैल प्रथा का काफी प्रचलित है। अगर कोई स्त्री या पुरुष अपने वैवाहिक रेखा से बाहर निकलना चाहता है तो विवाह में हुए खर्च की भरपाई उन्हें करनी पड़ती है। इनमें बाल-विवाह, अनमेल विवाह, बहु विवाह काफी प्रचलित है। इन जातियों में दूसरे की पत्नी को रख लेना एक सामान्य सी बात होती है। मेहमानों के आने पर तो विशेष नृत्य गान का भी आयोजन किये जाने की प्रथा है। औरत वर्ग पुरुष वर्ग के साथ नाच-गाने में बराबर हिस्सा लेता है। करमा और शैला उनके प्रिय गीत हैं। वर पक्ष के लोग कन्या की मांग करने जाते हैं। साथ ही विवाह में हुए खर्च का दायित्व वर पक्ष को अथवा दोनों को मिल बांटकर उठाना पड़ता है। इसलिए हिन्दुओं की अन्य जातियों की तरह लड़की के जन्म पर उदास नहीं होते।

सीधी जिले में हिन्दू, मुस्लिम व ईसाई धर्म को मानने वाले निवास करते हैं। अल्पसंख्यक में बौद्ध एवं जैन धर्म के लोग भी हैं। सब की अपनी-अपनी संस्कृति परम्पराएँ, रीति-रिवाज, खान-पान और मान्यताएँ हैं। इतना ही नहीं अनेक धर्मों की शाखाएँ और सम्प्रदायों की उपशाखाएँ तक हैं। चाहे जिस सम्प्रदाय या धर्म का व्यक्ति हो अपनी मान्यताओं के आधार पर धार्मिक कार्य करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता होते हैं जो भागीदारी नहीं निभा पाते, वे एक दूसरे की गतिविधियों में कमी भी कोई गतिरोध नहीं उत्पन्न करते हैं।

जनसंख्या :

जिले की कुल जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार 910983 है। जिले की यह जनसंख्या मध्यप्रदेश के कुल जनसंख्या का 3.03 प्रतिशत है। सीधी जिले की जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 11.9 है, जबकि अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत 29.9 प्रतिशत है। जिले में पुरुष साक्षरता दर 67.4 प्रतिशत है। जबकि महिला साक्षरता दर 36.0 प्रतिशत है। जनसंख्या वितरण प्रतिरूप को यदि तहसीलवार देखे तो गोपद बनास में 232028 चुरहट में 102090, रामपुर नैकिन में 166478, मझौली में 128893, कुसमी में 65108 तथा सिहावल में 216386 लोग निवास करते हैं।

सड़कें तथा यातायात के साधन :

जिले में कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। केवल एक प्रान्तीय राजमार्ग क्रमांक 75 है, जो सतना-सिंगरौली के नाम से जाना जाता है। सभी विकासखण्ड मुख्य स्थानों से कुल 2747.692 किमी. पक्की सड़कों तथा 2486.348 किमी. कच्ची सड़कों से जुड़े हुए हैं। जिले के सुदूर अंचलों में निवास करने वाली जातियाँ विशेषतः आदिम जातियों को कई किमी. की दूरी पैदल चलकर तय करनी पड़ती है।



जिले में चोपन-कटनी रेल मार्ग कुसमी और मझौली तहसील होकर गुजरता है। यह रेल मार्ग मात्र 51 किमी. है, जो कुछ स्टेशनों को छोड़कर जिले के वीरान इलाके से होकर गुजरता है। संचार के मामलों में सभी विकासखण्डों व तहसील मुख्यालयों में संचार सुविधाएँ उपलब्ध करायी गयी है। मोबाइल फोन सेवा जिले में विगत कई वर्षों से प्रारम्भ की गई है। इन सेवाओं का लाभ जिले के सभी ग्राम वासियों को मिल रही है।

यातायात के साधन के रूप में जिले में बस, टैक्सी जीप, रिक्सा ही उपलब्ध है। जिले के कुछ भागों में रेल की सुविधा भी लोगों को मिलती है। जिले में हवाई उड़ान की कोई सुविधा नहीं है। यद्यपि विशेष महत्वपूर्ण व्यक्तियों एवं मंत्रियों के विशेष आगमनों के लिए पनवार में एक हवाई पट्टी निर्मित है।

1.4 आर्थिक स्थिति एवं स्तर :

जिला सीधी की आर्थिक संरचना को कृषक, मजदूर, व्यवसायिक एवं सेवारत कर्मचारियों के वर्ग में विभक्त करके समझा जा सकता है। औसत रूप में ऊपरी सोन घाटी की आर्थिक स्थिति सामान्य से नीचे है। कृषक वर्ग में बड़े किसानों की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी है। छोटे किसान मुश्किल से वर्ष भर के लिए खाद्यान्न जुआ पाते हैं। व्यापारिक फसलों का अभाव है।

जिला सीधी का एक वर्ग आदिवासियों का है जिनमें मुख्यरूप से गोंड, बैगा, कोल आदि जातियाँ निवासरत हैं। इनकी आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। कुछ लोगों के पास तो रहने के लिए स्थान नहीं है। जंगलों में झोपड़े बनाकर रहना, नंगे बदन एवं नंगे पांव जंगलों में कार्य करना, दिन भर श्रम करते रहने के बावजूद भी दो रोटी नसीब न होना इनकी आर्थिक दुर्दशा को स्पष्ट उजागर करता है। घास-फूस के या मिट्टी के झोपड़ी में फूटे एल्यूमीनियम के वर्तन के अलावा और इनकी सम्पत्ति ही क्या हो सकती है। संतोष ही तो इनका प्रमुख धन है। संपूर्ण सोनांचल क्षेत्र में ग्रामीण माहौल ही छाया हुआ है। कुछ क्षेत्रों ऐसे भी हैं जहाँ आज तक बिजली तक नहीं पहुँच पाई है शहरीकरण की सुविधाओं का अभाव है।

यहाँ के लोगों का मूल व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन ही है। कृषि भी केवल जीवन निर्वाह के लिए ही की जाती है। इस कारण कोई अच्छी आर्थिक आय नहीं हो पाती। जंगलों से लकड़ी काटकर बेचना, गोंद, लाख, हर्षा, बहेरा, आंवला, एकत्र करके बिक्री करना, शिकार करना, मछली मारना, मुर्गी पालना, तेंदू की पत्तियाँ तोड़कर बीड़ी बनाना तथा जड़ी-बूटियों का जंगल से संग्रह करके बिक्री करना प्रमुख व्यवसाय है।

किसी भी क्षेत्र का व्यावसायिक स्वरूप वहाँ की समृद्धि का द्योतक होता है। उद्योगों के स्तर के आधार पर ही आर्थिक स्थिति व समाज के स्तर का निर्धारण होता है। व्यवसायिक सम्पन्नता लोगों को जीवन निर्वाह से भी अधिक सोचने का अवसर देती है, जिससे उनके जीवन स्तर में वृद्धि स्वाभाविक है।

सीधी जिले का क्षेत्र व्यवसायिक तौर पर विकासशील क्षेत्र है, जहाँ प्राथमिक उद्योगों से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक के उद्योग पाये जाते हैं। किन्तु संजय राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र, संजय दुबरी अभ्यारण्य क्षेत्र अभी भी विकास की प्रथमावस्था में है। शासकीय या निजी संस्थानों में सेवारत कर्मचारियों एवं अधिकारियों की आर्थिक स्थिति



अपेक्षाकृति सुधरी हुई है। कुल मिलाकर यहाँ के मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुपालन, वन सामग्रियों का संग्रहण, चमड़े से वस्तुओं का निर्माण व बांस की वस्तुओं का निर्माण आदि है। किन्तु फिर भी एक बहुत बड़ा तबका मजदूर परिवार का है। जिनकी आर्थिक दशा में स्वतंत्रता के 50–55 वर्षों में आंशिक सुधार हुआ है किन्तु आर्थिक स्वतंत्रता की लड़ाई में बहुत कुछ करना शेष है।

कृषि कार्य :

कृषि कार्य इस जिले का प्रमुख पेशा है। इस जिले की अधिकतर कृषि परम्परागत तरीके से हल-बैलों के द्वारा की जाती है। जिले में दो प्रकार की फसलें होती हैं—खरीफ और रबी की फसलें। खरीफ में धान, अरहर, उड़द, मूंग, कोदौ, सावा, ज्वार, बाजारा, मक्का की बोनी की जाती है। जिले में धान का कुल रकवा 106.18 हेक्टर है। मैदानी और बंजर भूमि में कोदौ, सावा, ज्वार बजारे की खेती होती है तथा रेतीले भू-भाग में मक्का का उत्पादन विपुल मात्रा में होता है। रबी की फसलों में गेहूँ, चना, मसूर, अलसी आदि प्रमुख है। जिले में गेहूँ का क्षेत्राच्छादन 77000 हेक्टेयर में होता है। तिलहनी फसलों में तिल, अलसी, राई, सरसो भी पर्याप्त मात्रा में बोई जाती है।

वर्तमान में परिवर्तन के प्रवाह में सीधी जिले की कृषि भी आधुनिक स्वरूप ग्रहण करने की ओर है। उन्नत बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक, थ्रेसर, ट्रेक्टर, हारवेस्टर, सिंचाई के नए तरीके आदि का प्रयोग धनी और मध्यम कृषकों द्वारा अपनाया जाने लगा है। मध्यप्रदेश में अपनी भौगोलिक संरचना के लिए विख्यात सीधी इकलौता जिला है। जहाँ बैल गाड़ी नहीं चलती है। परिणामतः यहाँ का साधारण व्यक्ति कंधे पर, सिर पर तथा कौड़ेरी पर वस्तु और जीविका दोनों का बोझ उठाने को विवश रहा है।

जिले का अधिकांश भाग पहाड़ी, जंगली, ऊबड़-खाबड़ होने के कारण कुल भूमि के चौथाई भू-भागों में ही कृषि होती है। सम्पूर्ण जिले में रबी की फसल कम व खरीफ की फसल अधिक मात्रा में पैदा की जाती है।

1.5 प्रशासनिक व्यवस्था एवं तंत्र :

प्रशासनिक दृष्टि से सम्पूर्ण जिला 5 विकासखण्ड, 6 तहसील तथा 12 राजस्व क्षेत्र में विभक्त है जिसके अन्तर्गत 186 पटवारी हलका आते हैं। जिले में सन् 2002–2003 के अनुसार 402 ग्राम पंचायतें हैं। इन पंचायतों में सम्मिलित ग्रामों की संख्या 1024 है। नए संवैधानिक नियम के अनुसार सीधी जिले में त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन किया गया है जिसके माध्यम से लोकतांत्रिक सरकारों का विकेन्द्रीकरण किया गया है।

सीधी नगर जो वर्तमान में 24 वार्डों में विभक्त है, नगर का स्थानीय शासन नगर पालिका परिषद सीधी द्वारा संचालित होता है। जिला मुख्यालय सीधी में जिला कलेक्टर का कार्यालय है, जो सम्पूर्ण जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक भवन है। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के भवन में सम्पूर्ण विभाग के प्रमुख अधिकारियों का कार्यालय स्थापित है। विभिन्न विकासखण्डों व तहसील मुख्यालयों में अनुविभागीय अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र



का प्रशासन कार्य देखते हैं। जिला मुख्यालय में ही जिला पंचायत का कार्यालय है जिसका सबसे बड़ा प्रशासक मुख्य कार्यपालन अधिकारी सी.ई.ओ. है। इस तरह से सभी विभागों के कार्यक्षेत्र बटे हुए हैं। इसी तरह स्वास्थ्य सेवाओं के समुचित देख-रेख हेतु मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी का कार्यालय जिला मुख्यालय में स्थित है। जिला सीधी के मुख्यालय में ही जिला सत्र न्यायालय भी स्थापित है। जिले में शांति और सुरक्षा व्यवस्था कायम करने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक का कार्यालय भी है। जिले में सम्पूर्ण सिंचाई व्यवस्था को संचालित और व्यवस्थित करने के लिए जल संसाधन विभाग कार्य कर रहा है।

सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है जिसका क्रमांक 11 है। जिसके अन्तर्गत व्यौहारी, चुरहट, सीधी, धौहनी, सिहावल, देवसर, चितरंगी तथा सिंगरौली विधानसभा क्षेत्र आते हैं। सीधी जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, 73 चुरहट, 74 सीधी, 75 गोपद बनास, 76 धौहनी अजजा। सन् 2001 के अनुसार कुल मतदाता 924230 थे जिनमें पुरुष मतदाता 485853 तथा महिला मतदाता की संख्या 438377 थी। कुल मतदान केन्द्रों की संख्या 1086 रही। सीधी जिले में 5 बाल विकास परियोजनाएँ संचालित हैं। आदिवासी विकास विभाग की ओर से सीधी जिले में 1 आदिवासी उपयोजना भी संचालित है जो कुसमी विकासखण्ड में संचालित है।

सीधी जिला 6 तहसीलों में विभक्त है—

1. गोपद बनास
2. चुरहट
3. सिहावल
4. रामपुर नैकिन
5. कुसमी
6. मझौली

विकासखण्ड के अनुसार यदि जिले का विभाजन किया जाये तो इस जिले में कुल 5 विकासखण्ड हैं जो इस प्रकार से हैं—

1. सीधी
2. रामपुर नैकिन
3. सिहावल
4. कुसमी
5. मझौली

सीधी जिले की सम्पूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था संभागीय कार्यालय रीवा तथा प्रदेशिक स्तर पर भोपाल के उच्चतर अधिकारियों के नियंत्राधीन है। जिला सत्र न्यायालय सीधी उच्च न्यायालय जबलपुर के प्रति उत्तरदायी है।

प्रशासनिक तौर पर सीधी जिला 3 उपखण्डों में विभक्त है—



1. सीधी-सिहावल
2. चुरहट-रामपुर नैकिन
3. मझौली-कुसमी

उपरोक्त तीनो उपखण्डों के लिए अलग-अलग अनुविभागीय दण्डाधिकारी एस.डी.एम. नियुक्त किये जाने का प्रावधान है जो अपने क्षेत्र का प्रमुख उत्तरदायी प्रशासनिक अधिकारी होता है।

शैक्षणिक दृष्टि से सीधी जिला पिछड़े जिले की श्रेणी में ही आता है। इस दृष्टि से जिले में साक्षरता में वृद्धि हेतु निरन्तर प्रयास जारी है। शिक्षण संस्था की देख-रेख उनके अधिकारियों द्वारा किया जाता है। जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकासखण्डों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी आदि के माध्यम से शिक्षा संबंधी कार्यों का निस्पादन किया जाता है।

जिले में 2003 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 1350 प्रथमिक शालाएँ, 257 माध्यमिक शालाएँ, 132 हाई स्कूल, 130 हायर सेकेण्डरी स्कूल, 5 महाविद्यालय, 1 व्यवसायिक संस्थाएँ तथा 41 आश्रम शालाएँ संचालित है। इन शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से जिले में शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है।

उच्चशिक्षा के क्षेत्र में सीधी नगर में स्थित संजय गांधी स्मृति शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, जो अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा का एक प्रमुख व अग्रणी महाविद्यालय माना जाता है। इसके साथ ही शासकीय कन्या महाविद्यालय सीधी नगर में स्थित है जहाँ पर छात्राएँ उच्चशिक्षा का लाभ ले रही हैं। शहर में ख्यतिलब्ध निजी महाविद्यालय भी संचालित हैं।

जिले का पर्यटन परिदृश्य :

बघेलखण्ड की गोद में स्थित सोनांचल क्षेत्र के भू-भाग की अलौकिक छटा आकर्षक प्राचीन धरोहर एवं यहाँ की संसाधन-सम्पन्न लोक-संस्कृति ने लोगों को आदिकाल से अपनी ओर आकर्षित किया है। यह क्षेत्र प्राचीन ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धरोहरों, स्मारकों, किलों, महलों, भवनों, मंदिरों आदि से भरा पड़ा है। यहाँ के ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्मारकों एवं धरोहरों की अनुपम कलाकृति एवं अद्वितीय कला के दर्शन के लिए लोग लालायित रहते हैं। इन कलाओं का एक दर्शन पाने के लिए लोग हजारों किमी. दूर से चलकर आते हैं। इसी कारण ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के स्थलों को मध्यप्रदेश शासन के ऐतिहासिक एवं पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित घोषित किया गया है।

सोनांचल क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत अत्यंत प्राचीन है। यहाँ के पर्यटन स्थल अपनी विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कहीं तो पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं तो कहीं धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कहीं-कहीं तो मात्र प्राकृतिक सौंदर्य से सम्पन्न ऐसे अद्भुत और आकर्षक स्थल हैं जहाँ एक बार पहुँच जाने पर मनुष्य उन्हें देखता ही रह जाता है। कहीं वन्य प्राणी अभ्यारण्य हैं जहाँ विभिन्न प्रकार के छोटे से बड़े जाति तक के जीव-जन्तु विचरण करते हैं तो कहीं औद्योगिक पर्यटन केन्द्र है जहाँ शोर-शराबा है।



पर्यटन स्थलों का वर्गीकरण :

सीधी जिले के पर्यटन स्थलों का विवरण निम्न हैं—

1. ऐतिहासिक पर्यटन केन्द्र :- चुरहट की गढ़ी, सती पट प्रतिमाएँ, चंदरेह का शैव मठ तथा कठौली, खैरही, कमर्जी के शैल चित्र आदि।
2. वन्य प्राणी पर्यटन केन्द्र :- संजय राष्ट्रीय उद्यान, संजय दुबरी अभ्यारण, सोन घड़ियाल इत्यादि।
3. प्राकृतिक पर्यटन केन्द्र :- परसिली, सोन-बनास संगम भंवर सेन घाट, त्रिवेणी भवरा क्षेत्र इत्यादि।
4. धार्मिक पर्यटन केन्द्र :- बढौरा, घोघरा, गऊघाट, चंदरेह, चदैनिया, बटौली, तेंदुआ, मधुरी इत्यादि।
5. औद्योगिक पर्यटन केन्द्र :- सीमेन्ट फैक्ट्री बघवार, डालडा फैक्ट्री चुरहट, भरतपुर हथकरघा लघु उद्योग इत्यादि।

1.6 निष्कर्ष :

भारत में भी यह अनुभव किया गया कि व्यक्तिगत अलग-अलग वित्त पोषण की तुलना में सामूहिक हित चिंतन अधिक प्रभावी माध्यम हो सकता है एवं इसी के फलस्वरूप स्वयं सहायता समूह की अवधारणा विकसित हुई।

स्वयं सहायता समूह निर्धनों की पहुँच ऋण तक सुनिश्चित करने का एक ाकरगर एवं अल्पव्ययी बचत की आदत के विकास का एक तरीका है। स्वयं सहायता समूह का लक्ष्य निर्धनों में नेतृत्व क्षमता का विकास करना व उन्हें सामर्थ्यवान बनना है। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण निर्धनों द्वारा स्वेच्छा से गठित एक समूह है, जिसमें समूह के सदस्य अपनी इच्छा से जितनी चाहे बचत आसानी से कर लेते हैं, उसका अंशदान एक सम्मिलित निधि में करने तथा समूह के सदस्यों को उत्पादकता अथवा आपातकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऋण के रूप में देने के एिल परस्पर सहमति होती है।

महिलायें पहले समूह में केवल बचत की भावना से जुड़ती थी। लेकिन अब महिलायें समूह की बैठकों में बचत के अतिरिक्त ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं एवं उनके विकास के संबंध में भी चर्चा करने लगी है। स्वयं सहायता समूह महिलाओं के सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। इन समूहों में कार्य करने से उनके स्वाभिमान, गौरव व आत्मनिर्भरता में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप महिलाओं की क्षमताओं में बढ़ोतरी होती है। आज भारत दुनिया भर में महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूहों के क्षेत्र में सर्वोपरि स्थान रखता है किन्तु हमारे देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, राजनीतिक व आर्थिक परिस्थितियों महिला समूहों की गतिशीलता, व्यवहार्यता व साध्यता में अनेक चुनौतियाँ खड़ी होती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची



1. मुखर्जी, डॉ० रवीन्द्रनाथ – भारत में सामाजिक परिवर्तन, राजकमल प्रकाशन जवाहर नगर, दिल्ली, 1996।
2. सिंह, वी०एन०/सिंह, जनमेजय – आधुनिकता एवं नारी सशक्तीकरण, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2010।
3. मदन, जी०आर० – भारत का सामाजिक पुनिर्माण, विवेक प्रकाशन, दिल्ली, 1990।
4. पवार, डॉ० निकुंज मीनाक्षी – नारी उत्पीड़न और कानून, स्टार कम्प्यूटर एण्ड ग्राफिक नयापुरा, इन्दौर।
5. सिंह, डॉ० निशांस – सामाजिक न्याय और सतत् विकास, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2006।
6. बघेल, डॉ० डी०एस० – भारतीय समाज, पुष्पराज प्रकाशन, रीवा, 1990।
7. आर्य, सत्यप्रकाश – व्यवहारिक समाजशास्त्र, साहित्य भवन प्रकाशन, आगरा, 1971।
8. गुप्त, रघुराज – भारत में समाज कल्याण और सुरक्षा, किशोर पब्लिकेशन हाउस, कानपुर, 1959।
9. खरे, पी०सी० – सामाजिक नियंत्रण एवं परिवर्तन, पुस्तक भवन, रीवा, 1980।
10. जैन, डॉ० एस०सी० – शोध पद्धतियों एवं सांख्यिकी तकनीक, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल, 2010।
11. अग्रवाल, जी०के० – सामाजिक परिवर्तन, साहित्य भवन आगरा, 1969।
12. खान, एम०ए० – स्टेटस आफ रूलर वोमेन इन इण्डिया, उप्पल प्रकाशन हाउस, नई दिल्ली, 1958।
13. पाण्डे, डॉ० जयनारायण – भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद।
14. तिवारी, आर०पी० – भारतीय नारी, वर्तमान समस्याएँ एवं भावी समाधान, ए०पी०एच० पब्लिशिंग कारपोरेशन नई दिल्ली, 1999।
15. रावत, ज्ञानेन्द्र – औरत : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, विश्व भारती पब्लिकेशन्स दिल्ली, 2006।
16. अंसारी, एम०ए० – महिला और मानवाधिकार, ज्योति प्रकाशन, जयपुर, 2000 एवं 2007।
17. कुमार, मनीष – महिला सशक्तीकरण : दशा और दिशा, प्रकाशक मधुर बुक्स, दिल्ली, 2006।
18. गुप्ता, डॉ० बी०के० – महिला सशक्तीकरण का यथार्थ, प्रतियोगिता दर्पण 2005।
19. द्विवेदी, राकेश – महिला सशक्तीकरण चुनौतियों और रणनीतियों, पूर्वशा प्रकाशन भोपाल, 2005।
20. गुप्ता, रमणिका – स्त्री विमार्श कलम और कुदाल के बहाने, शिल्पायन, दिल्ली, 2006।
21. नागदा, डॉ० बी०एल० – ग्रामीण महिलाओं में सशक्तीकरण के जनांकिक एवं सामाजिक पक्ष प्रतियोगिता दर्पण, 2004।
22. दुबे लीला – महिलायें और विकास, म०प्र०हि०ग्रा० अकादमी का प्रकाशन, भारत की सांस्कृतिक विरासत, भोपाल, 1992।
23. मुखर्जी, मधुपर्णा – नारी सशक्तीकरण दशा एवं दिशा, कृतिका जनवरी-जुलाई 2009।
24. जौहरी, डॉ० शुभा – वैश्वीकरण तथा महिला सशक्तीकरण की दशा एवं दिशा, कृतिका, जुलाई-दिसम्बर 2008।
25. डॉ० श्रीमती चित्रा आम्रवंशी – राजनीति में नारी नेतृत्व आवश्यक क्यों, कृतिका, जुलाई-दिसम्बर 2008



26. आशारानी व्होरा – स्त्री सरोकार, आर्य प्रकाशन मंडल, दिल्ली, 2006 ।
संगीता उनियाल – नारी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति, 1999